UPSB010051812023

<u>विशेष न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट), सोनभद्र</u>

पीठासीन अधिकारी – **शैलेन्द्र यादव,** (उच्चतर न्यायिक सेवा), UP01791

विशेष सत्र परीक्षण सं.–841/2023

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन।

बनाम

दीपक उर्फ मिठ्ठू डोम पुत्र मुन्ना डोम, निवासी वार्ड नं. 03 काली मंदिर के पीछे जी. आई.सी. के पास तुर्रा, थाना पिपरी, जिला सोनभद्र

....अभियुक्त।

सरकार बनाम पप्पू पटेल एवं अन्य एक उपरोक्त
मुकदमा अपराध संख्या–76/2023
धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–पिपरी, जनपद–सोनभद्र।

26.02.2026

<u>–निर्णय–</u>

1. अभियुक्त दीपक उर्फ मिठ्ठू डोम पुत्र मुन्ना डोम, निवासी वार्ड नं. 03 काली मंदिर के पीछे जी.आई.सी. के पास तुर्रा, थाना पिपरी, जिला सोनभद्र की ओर से जरिये जेल अधीक्षक/ डी.एल.एस.ए जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी एक निर्धन व्यक्ति है। वह कथित अपराध में दिनांक 17.06.2023 से जिला कारागार सोनभद्र में निरूद्ध है। प्रार्थी बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है। प्रार्थी भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड देकर कारागार से मुक्त करने की याचना की गयी है।

2. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में अभियुक्तगण 1. पप्पू पटेल पुत्र लक्षनधारी उर्फ लच्छनधारी पटेल व 2. दीपक उर्फ मिठ्ठू डोम के विरूद्ध अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट योजित हुआ। विवेचना पश्चात् आरोप पत्र सं.–104/2023 अभियुक्तगण पप्पू पटेल व दीपक उर्फ मिठ्ठू डोम के विरूद्ध अंतर्गत धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 प्रस्तुत किया किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया। पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है। इस स्तर पर अभियुक्त दीपक उर्फ मिठ्ठू डोम द्वारा स्वेच्छ्या जुर्म स्वीकृति प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.02.2026 जरिये जेल अधीक्षक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र को

Digitally signed by SHAILENDRA YADAV
Date: 2026.02.26 17:45:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sonbhadra

प्रेषित किया गया, जिस पर सचिव जिला सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु जरिये एल.ए.डी.सी प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दीपक उर्फ मिठ्ठू डोम न्यायालय के समक्ष जेल से उपस्थित है। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र जुर्म स्वीकृति के संबंध में पूछताछ किया गया। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया एवं जुर्म स्वीकार करने का कथन किया गया। जुर्म स्वीकृति अलग प्रपत्र पर अंकित की गयी। अभियुक्त दीपक उर्फ मिठ्ठू डोम आरोप अंतर्गत धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 को इस स्तर पर स्वेच्छया स्वीकार कर रहा है। अतः अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त दीपक उर्फ मिठ्ठू डोम को दोषी पाते हुए, उक्त अपराध के दण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है।

–आदेश–

4. अभियुक्त दीपक उर्फ मिठ्ठू डोम पुत्र मुन्ना डोम को विशेष सत्र परीक्षण सं. –841/2023, मु.अ.सं.–76/2023, राज्य बनाम पप्पू पटेल वगैरह, अं.धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना पिपरी, जिला सोनभद्र के मामले के आरोप में **02 वर्ष 06 माह** (दो वर्ष छः माह) के कठोर कारावास एवं रू० 5,000/– (पॉच हजार रूपये) अर्थदण्ड (अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास) से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित होगी। अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट आवश्यक अनुपालन हेतु जेल अधीक्षक, जिला कारागार, सोनभद्र को नियमानुसार प्रेषित हो। आवश्यक अंकन आरोप पत्र में अभियुक्त दीपक उर्फ मिठ्ठू डोम के बावत् किया जाय।

दिनांक 26.02.2026

(शैलेन्द्र यादव)
विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट),
सोनमद्र
जे.ओ.कोड–यू.पी. 01791